अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 20– MINISTRY OF DEFENCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित -	*Charged -*			*24,00*	*6,21*	*–17,79*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*17,42*
स्वीकृत -	Voted–					
मूल	Original	11474,57,00		13403,35,00	13296,26,23	–107,08,77
पूरक	Supplementary	1928,78,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,48,82
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1682,00,00		1682,01,00	1623,78,02	–58,22,98
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					28,48,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹4.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष “2052” - सचिवालय - सामान्य सेवाएं” के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹4.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head “2052” - “Secretariat- General Services”.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:–

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	121866.00			
पू.	S.	1753.00	123031.45	121992.38	-1039.07
पु.	R.	- 587.55			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	2873.00			
पु.	R.	- 912.23	1960.77	1919.86	-40.91
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	89094.00			
पू.	S.	5027.00	93287.75	92581.57	-706.18
पु.	R.	-833.25			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	69560.00			
पू.	S.	6000.00	77240.51	73382.37	–3858.14
पु.	R.	1680.51			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	1663.00			
पू.	S.	98.00	1745.70	1672.16	–73.54
पु.	R.	–15.30			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	856364.00			
पू.	S.	180000.00	1036083.00	1032232.66	–3850.34
पु.	R.	–281.00			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing		367.00	242.22	–124.78

(I) नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य कार्यालय - रक्षा संपदा संगठन" - ₹15748.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹818.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹16566.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, वेतन और भत्तों के बकायों, संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम, शिक्षा शुल्क, यात्रा संबंधी मामलों का परिसमापन न होने और रक्षा भूमि के सर्वेक्षण और डिजिटाइजेशन संबंधी प्रक्रिया और अन्य संबंधी क्रियाकलाप का पालन न किए जाने के कारण ₹611.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)"- the original provision of ₹15748.00 lakhs was augmented to ₹16566.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹818.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹611.90 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-liquidation of cases of arrears of pay and allowances, modified assured career progression scheme, tuition fee, tours and non-compliance of procedure and other related activities pertaining to survey and digitization of Defence lands.

(खा) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन" - ₹89094.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5027.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹94121.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो पट्टा किराया, जहाजों और वायुयानों को दुरुस्त और मरम्मत करने के कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने, आपूर्ति आदेशों का मूर्त रूप न लेने, जहाजों और वायुयानों की मरम्मत न किए जाने की वजह से प्रांगण/पत्तन न्यास में गोदी उपलब्ध न होने और विभिन्न इकाइयों में सुरक्षा और कैटरिंग सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों के मूर्त रूप लेने में विलंब होने के कारण ₹1539.43 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2037" – "Preventive and Other Functions – Coast Guard Organization"– the original provision of ₹89094.00 lakhs was augmented to ₹94121.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5027.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1539.43 lakhs - due to non–finalisation of lease rent, works for refit and repair of ships and aircraft, non–materialisation of supply orders, non–availability of docks in the yard/port trust owing to non-repair of ships and aircraft and delay in materialisation of certain cases related to security and catering services contract at various unit.

(गा) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इनफेंटरी के संबंध में भुगतान की गई राशि" - ₹69560.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹75560.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो बेमौसम भारी वर्षा और हिमपात होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या मं चारटिट उड़ाने रद्द किए जाने और सीआई आपरेशन में सम्मिलित होने की वजह से कम सामान की आवश्यकता होने के कारण ₹2177.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2055" – "Special Police - Charges paid in respect of J & K Light Infantry (JAKLI)" - the original provision of ₹69560.00 lakhs was augmented to ₹75560.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2177.63 lakhs - due to cancellation of large number of chartered flights owing to unseasonal heavy rainfall and snowfall and requirement of less stores owing to their involvement in CI ops.

(घा) मुख्य शीर्ष "2059" - "कार्यालय भवन - रख रखाव और मरम्मत - रक्षा संपदा संगठन" - ₹121.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹98.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹219.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो प्रस्तावों की प्रक्रिया में विलंब होने के

(D) Major Head "2059" – "Office Buildings - Maintenance and Repairs - Defence Estates Organisation" - the original provision of ₹121.00 lakhs was augmented to ₹219.00 lakhs by obtaining

कारण ₹32.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

supplementary grant of ₹98.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹32.38 lakhs - due to delay in processing of proposals.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवाएं निदेशालय" - ₹856364.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹180000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1036364.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कुछ संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकाया मामलों का गलत निपटान किए जाने का परिशोधन/पुनरीक्षण किए जाने के कारण ₹4131.34 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) Major Head "2075" – "Canteen Stores Department (CSD) – Directorate of Canteen Services" – the original provision of ₹856364.00 lakhs was augmented to ₹1036364.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹180000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹4131.34 lakhs - due to rectification/revision of incorrectly finalised few modified assured career progression scheme arrear cases.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings also occurred under the following heads:-

(का) "रक्षा विभाग" - ₹1035.66 लाख की बचत (₹9602.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, काउंसलर (समन्वय) [एम (ओ एस सी ओ डब्ल्यू)] से दावे प्राप्त न होने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और पेशेवर सेवाओं और विज्ञापन और प्रचार के लिए दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Department of Defence" - saving of ₹1035.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9602.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims from counsellor (Coord) [M (OSCOW)], receipt of less medical claims and non-receipt of claims towards professional services and advertising and publicity

(खा) "भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग" - ₹235.28 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW)" - saving of ₹235.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals.

(गा) "रक्षा उत्पादन विभाग" - ₹285.71 लाख की बचत (₹1955.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Department of Defence Production (DP)" - saving of ₹285.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1955.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय - सशस्त्र सेना अधिकरण" के अंतर्गत ₹953.14 लाख की बचत (₹2873.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal"- saving of ₹953.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2873.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non–filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्य खरीद निदेशालय" - ₹124.78 लाख की बचत (₹367.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने,

(IV) Under Major Head "2408" – "Food - Direction and Administration - Chief Directorate of Purchase" - saving of ₹124.78 lakhs (against the sanctioned

अधिकारियों/स्टाफ के स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति और सामान की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹367.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, transfer and retirement of officers/ staff and less procurement of goods.

3. उपर्युक्त बचत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹672.82 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य व्यय - रक्षा लेखा विभाग" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1753.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। अधिक व्यय, तथापि, ₹570.59 लाख था।

3. The above savings were partly (₹672.82 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1753.00 lakhs in March, 2012 under Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)". Actual excess, however, was ₹570.59 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	160000.00			
पू.	S.	1.00	160000.00	157538.40	–2461.60
पु.	R.	-1.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	4500.00	3030.00	2680.59	–349.41
पु.	R.	–1470.00			
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	685.00	255.00	262.51	+7.51
पु.	R.	–430.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1915.00	968.00	864.02	– 103.98
पु.	R.	-947.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹2462.60 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹160001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्ताव फार्मेट के लिए आवेदन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से 06 ओपीवी की नई अधिग्रहण स्कीम के फलीभूत न होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "रक्षा लेखा विभाग" - ₹603.23 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रीनगर में स्थान का कानूनी विवाद होने और कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "सशस्त्र सेना अधिकरण" - ₹1230.73 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एएफटी (आरबी), कोची के अनुमानों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण" के अंतर्गत ₹422.49 लाख की बचत (₹685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेना इंजीनियरी सेवा द्वारा निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन - निर्माण -" के अंतर्गत ₹1044.46 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रीनगर में स्थान का कानूनी विवाद होने, नरेना में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण न किए जाने और कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹67.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

(I) Under Major Head "4047" – "Customs–Coast Guard Organization" - saving of ₹2462.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹160001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to non–fructification of new acquisition scheme of 06 OPVs owing to delay in finalization of Request for Proposal format under Defence Procurement Procedure.

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Defence Accounts Department" - saving of ₹603.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to legal dispute of site at Srinagar and slow progress of works.

(B) "Armed Forces Tribunal" - saving of ₹1230.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of estimates in respect of AFT (RB), Kochi.

(III) Under Major Head "4075" - "Canteen Stores Department - Construction" - saving of ₹422.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹685.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction works by Military Engineering Services.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction" – saving of ₹1044.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to legal dispute of site at Srinagar, non-construction of staff quarters at Naraina and slow progress of works.

(V) Under one head saving of ₹67.50 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.